राजस्थान सरकार
कार्मिक (ख–3) विभाग

कमांक: प. 1(14)कार्मिक/ख–3/2019 जयपुर, दिनांक :

मुख्य अभियंता (भवन),
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
जयपुर।

विषय:–शासन सचिवालय परिसर में सार्व. निर्माण विभाग,जयपुर से प्राप्त तकमीनों के आधार पर विभिन्न विद्युत कार्य कराये जाने की स्वीकृति के क्रम में।

सदर्भ:– तकमीना क्र. 1051 दिनांक 05.10.18 तथा 607 दिनांक 20.07.18

उपरोक्त विषयान्तर्गत सार्व. निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड, सचिवालय जयपुर से प्राप्त संदर्भित तकमीनों के आधार पर शासन सचिवालय में निम्नांकित विद्युत संबंधी कार्य कराये जाने हेतु राशि रूपये 172.95 लाख (अक्षरे राशि रूपये एक करोड बहत्तर लाख पिचानवे हजार मात्र) के व्यय की प्रशासनिक एव वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन एतद द्वारा प्रदान की जाती है, कार्यों का विवरण निम्नप्रकार है:–

क्र. सं.	कार्य का विवरण	योजना लागत राशि रूपये	वर्ष 2019–20 हेतु आवंटन
1	Replacement of Old Transformers with Energy Efficient Transformers In Govt Sectt., Jaipur	26.38 लाख	26.38 लाख
2	S&F of Air Cooling Plant at 2nd Floor of Main Building at Govt Secretariat, Jaipur.	23.07 लाख	23.07 लाख
3	SITC of 1 nos 13 passanger Lift in SSO Building at Govt Secretariat, Jaipur.	23.10 लाख	23.10 लाख
4	SITC of 1 nos 8 passanger Lift in Main Building at Govt Secretariat, Jaipur.	20.21 लाख	20.21 लाख
5	SITC of Fire Detection Panel and Fire Extinguishers in Main Building of Govt., Sectt., Jaipur.	15.35 लाख	15.35 लाख
6	SITC of VFD for ForceVentilation Motors in North-west and Front Lawn parking at Raj., Sectt., Jaipur	28.58 लाख	28.58 लाख
7	Providing and Fixing of LED lights in Various Rooms of SSO Building at Rajasthan Secretariat, Jaipur.	15.94 लाख	15.94 लाख
8	Providing and Fixing of LED lights in Various Rooms of Library Building at Rajasthan Secretariat, Jaipur.	4.76 लाख	4.76 लाख
9	Providing and Fixing of LED lights in Various Rooms of Archive Building at Rajasthan Secretariat, Jaipur.	6.67 लाख	6.67 लाख
10	Providing and Fixing of LED lights in Various Rooms of Panchayati Raj Building at Rajasthan Secretariat, Jaipur.	8.89 लाख	8.89 लाख
		कुल योग	172.95 लाख

4059-36-77

शर्तें :

1. उक्त स्वीकृति सामान्य वित्तीय एव लेखा नियम पार्ट–1 के अध्याय 13 के नियम 246 में वर्णित प्रावधानों के अध्यधीन होगी।
2. सार्वजनिक निर्माण विभाग उक्त कार्यों के लिये जारी निविदा की एक प्रति इस विभाग को पृष्ठांकित करते हुए निविदा जारी होने के एक सप्ताह में भिजवाना सुनिश्चित करें।
3. सार्वजनिक निर्माण विभाग तकमीने के अनुसार वास्तविक व्यय का पूर्ण ब्यौरा एवं कार्य संतुष्टि रिपोर्ट कार्य सम्पन्न होने के एक सप्ताह में इस विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करें।
4. उक्त राशि के उपयोग सम्बन्धित स्वीकृत कार्यों के अलावा अन्य किसी कार्य में व्यय नहीं की जावें।
5. कार्य में लगने वाले सामान की गुणवत्ता एवं किस्म का विशेष ध्यान रखकर स्थापित किया जावे।
6. उक्त स्वीकृत राशि से अधिक राशि का व्यय नहीं किया जावेगा एवं कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूरा किया जावेगा।
7. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम/नियमों की पालना सुनिश्चित की जावे।
8. पंजीयक शासन सचिवालय से किए जाने वाले कार्यों की संतुष्टि रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात ही ठेकेदार को

राजस्थान सरकार
संसदीय कार्य विभाग

क्रमांक: प0 6(1)संसद/2017पार्ट–1

जयपुर, दिनांक: 11-07-2018

सचिव,
राजस्थान विधान सभा सचिवालय,
जयपुर।

विषय :– आई.पी. बेस्ड सी.सी.टी.वी. कैमरों हेतु प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में।
संदर्भ :– आपका पत्र संख्या एफ 4 (12) लेखा/बजट/ विस/2018–19/14275 दिनांक 04.05.2018 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान विधान सभा सचिवालय से प्राप्त प्रस्ताव पर वित्त विभाग द्वारा निम्नानुसार टिप्पणी अंकित की गयी है:–

"राजस्थान विधान सभा सचिवालय के बजट मद 4059–80–051–(27)–[00]–17–वृहद् निर्माण कार्य (Schemes - State Fund) चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में आई.पी. बेस्ड सी.सी.टी.वी. कैमरों हेतु राशि रू. 190.57 लाख का बजट प्रावधान (बी.एफ.सी. वर्ष 2018–19 के मिनिट्स) वित्त विभाग की बिना किसी पूर्व शर्त के साथ रखा गया है। अतः वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 13.03.2018 (इस विभाग के पत्र क्रमांक: प0 6(1)संसद/2017 दिनांक 11.04.2018 के साथ प्रेषित प्रति पुनः संलग्न है) के बिन्दु संख्या 4 अनुसार इस सम्बन्ध में स्वीकृति प्रशासनिक विभाग के स्तर से जारी की जावें, यह परामर्श दिया जाता है।"

उक्त टिप्पणी वित्त (व्यय–4) विभाग की आई.डी. संख्या 101803905 दिनांक 06.07.2018 के माध्यम से प्राप्त हुई है।

अतः वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त टिप्पणी के अनुक्रम में (बी.एफ.सी. वर्ष 2018–19 के मिनिट्स में जारी की गयी उक्त सहमति के अनुसरण में) प्रशासनिक स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–
1. प्रमुख शासन सचिव, वित्त (व्यय–4) विभाग।
2. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग।
3. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
4. निवासीय लेखा परीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

11/07/18
शासन उप सचिव